प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

प्रथम अपील (विविध) क्रमांक 44/2008

अपीलार्थी : श्रीमती माया देवी

बनाम

प्रत्यर्थी : किशोर वर्मा

निर्णय हेतु विचारार्थ

सही
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति आर.एन. चंद्राकर न्यायाधीश
मैं सहमत हूँ

सही
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

निर्णय एवं आदेश की उद्घोषणा हेतु दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 के लिए सूचीबद्ध करें।

सही

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : **माननीय श्री टी.पी. शर्मा न्यायाधीश एवं**
माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

प्रथम अपील (विविध) क्रमांक 44/2008

अपीलार्थी : (कुटुंब न्यायालय के के समक्ष आवेदक)	श्रीमती माया देवी पति श्री किशोर कुमार, उम्र लगभग 23वर्ष, निवासी क्वार्टर क्रमांक 15सी, सड़क क्रमांक 29, भिलाई नगर, तहसील एवं जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी : (कुटुंब न्यायालय के समक्ष अनावेदक)	किशोर वर्मा, पिता विष्णु सिंह वर्मा, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम सुरसा बांधा, थाना राजिम, तहसील राजिम, के जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

{अपील अंतर्गत धारा 19(1), कुटुंब न्यायालय अधिनियम}

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से : श्री जितेंद्र गुप्ता सहित श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री एल.सी. दास, अधिवक्ता।

आदेश

(23 अक्टूबर, 2009)

<u>न्यायालय का निम्नलिखित आदेश टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया :</u> -

1. कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत यह अपील, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दुर्ग द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 121-ए/07 में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 30.01.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा और जिसके अंतर्गत विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन हेतु प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया है।

2. निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय ने यह निष्कर्ष देने में त्रुटि कारित की है कि अपीलार्थी ने स्वयं को इस्लाम में परिवर्तित कर लिया है और किसी मुस्लिम व्यक्ति, सैयद जुबेर से विवाह कर लिया है, और इस प्रकार अवैध कार्य किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. पक्षकारों के अभिवचनों के अनुसार, इस अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी विवाहित हिंदू पति/पत्नी थे। अपनी विवाह के एक महीने बाद, प्रत्यर्थी की सलाह पर, अपीलार्थी आगे की पढ़ाई के लिए अपने मायके चली गई जहाँ उसने वर्ष 2002 में बी.एससी. फाइनल की पढ़ाई की। उसकी परीक्षाओं के बाद, एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया और प्रत्यर्थी अपीलार्थी को अपने घर ले गया जहाँ उन्होंने वैवाहिक जीवन शुरू किया। कुछ समय बाद, किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्रत्यर्थी को कुछ पत्र भेजे जिनमें अपीलार्थी के चरित्र पर झूठे आरोप लगाए गए थे। प्रत्यर्थी वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन करता रहा। इससे पहले, प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के चरित्र हनन करने वाले पत्र भी प्राप्त हुए थे। अंत में, प्रत्यर्थी अपीलार्थी को उसके मायके ले गया और उसे अपने साथ वापस ले जाने से इनकार कर दिया। प्रत्यर्थी अपने साथ अपीलार्थी को रखने के लिए तैयार नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन हेतु याचिका अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

4. प्रत्यर्थी ने प्रतिकूल आरोपों से इनकार किया है और विशेष रूप से अभिवचन किया है कि अपीलार्थी का नाम शबनम निशा है न कि माया देवी, उसने खुद को इस्लाम

में परिवर्तित कर लिया है और सैयद जुबेर से विवाह कर ली है, और जब यह तथ्य प्रत्यर्थी के ज्ञान में आया, तो प्रत्यर्थी ने वैवाहिक दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया। अपीलार्थी ने भारतीय दंड सहिंता की धारा 498-क के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उसने परिवार परामर्श केंद्र की सलाह पर शिकायत वापस ले ली है। अपीलार्थी स्वयं विवाह अधिकारी, दुर्ग के समक्ष उपस्थित हुई है और अपनी विवाह को पंजीकृत कराया है। प्रत्यर्थी के पास सैयद जुबेर के साथ अपीलार्थी के विवाह से संबंधित तस्वीरें हैं। हिंदू और मुस्लिम पुरुष-महिला के बीच दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन विधि के तहत संभव नहीं है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर, विवाद्यक विरचित किए गए और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, आक्षेपित निर्णय और अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने कभी भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया है, उसने कभी भी प्रत्यर्थी के साथ वैवाहिक संबंध से इनकार नहीं किया है, किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के चरित्र हनन करते हुए विवाह के बाद पत्र भेजे हैं, और यहाँ तक कि पक्षकारों के बीच विवाह संपन्न होने से पहले भी पत्र भेजे गए थे। प्रत्यर्थी ने उक्त पत्रों को कोई महत्व नहीं दिया है, लेकिन विवाह के बाद जब उसे फिर से ऐसे पत्र मिले, तो उसे अपीलार्थी के चरित्र पर संदेह हुआ और उसने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन करने से इनकार कर दिया। अपीलार्थी ने सैयद जुबेर से विवाह नहीं किया है और उसने विवाह अधिकारी, दुर्ग के समक्ष विवाह पंजीयन के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत तस्वीरें अपीलार्थी की तस्वीरें नहीं हैं।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने स्वयं को इस्लाम में परिवर्तित कर लिया है और उसका चरित्र अच्छा नहीं है, प्रत्यर्थी को उसके चरित्र से संबंधित कुछ पत्र प्राप्त हुए और जब उसे पता चला कि अपीलार्थी ने स्वयं को इस्लाम में परिवर्तित कर लिया है और सैयद जुबेर से विवाह कर ली है, तो उसने अपीलार्थी के साथ वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन करने से इनकार कर दिया।

9. पक्षकारों के तर्कों का विवेचन करने के लिए, हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है। अपीलार्थी के तर्कों के समर्थन में, अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य में यह कथन दिया है कि उसने प्रत्यर्थी से विवाह किया था, परन्तु किसी व्यक्ति ने जानबूझकर प्रत्यर्थी को उसके विवाह से पूर्व ही उसके चरित्र हनन करते हुए पत्र भेजे थे, परन्तु प्रत्यर्थी ने उक्त पत्रों को कोई महत्व नहीं दिया। तथापि, बाद में जब उसे कुछ और पत्र प्राप्त हुए, तो उसे प्रत्यर्थी के चरित्र पर संदेह हुआ और उसने उसके साथ वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन करने से इनकार कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थी के पिता कमल प्रसाद देशमुख (आवेदक साक्षी क्रमांक-2) ने अपीलार्थी के साक्ष्य की पुष्टि की और कहा कि कुछ पत्रों के आधार पर, प्रत्यर्थी ने उन्हें बताया कि अपीलार्थी का विवाह किसी मुस्लिम व्यक्ति से हुआ है, और उन्होंने उस संदिग्ध व्यक्ति को बुलाया जिसने अपीलार्थी के साथ विवाह के तथ्य से इनकार किया। प्रत्यर्थी दूसरी विवाह की कोशिश कर रहा था जिसका उन्होंने विरोध किया, लेकिन अंततः उसने दूसरी महिला से विवाह कर ली।

11. मोहम्मद तौहीद आलम अशरफी (आवेदक साक्षी क्रमांक-3) ने इस्लाम धर्म अपनाने की प्रक्रिया के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है। उन्होंने विशेष रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी और सैयद जुबेर ने उनकी मस्जिद में आपस में विवाह नहीं की है।

12. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी ने स्वयं का परीक्षण कराया है और कहा है कि उसे अपीलार्थी के चरित्र से संबंधित तस्वीरें और पत्र उसकी विवाह से पहले और विवाह

के बाद भी मिले थे। अंततः, जब उसे विवाह पंजीयन का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, तो उसने इस मामले की सूचना जाति समुदाय को दी। अपीलार्थी ने एक मुस्लिम व्यक्ति से विवाह किया और उसके बाद, प्रथागत सलाह पर, उसने दूसरी महिला से विवाह कर लिया। प्रत्यर्थी ने तस्वीरें प्रदर्श-डी/3 से डी/8 तक प्रस्तुत की हैं।

13. अपीलार्थी ने सैयद ज़ुबेर (अनावेदक साक्षी क्रमांक-2) का परीक्षण कराया है, जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने माया देवी से कैंप भिलाई में विवाह (निकाह) किया है और प्रमाण पत्र प्रदर्श-डी/9 प्राप्त किया है और विवाह अधिकारी, दुर्ग के समक्ष अपने विवाह का पंजीयन भी कराया है। विवाह अधिकारी, दुर्ग ने प्रमाण पत्र प्रदर्श-डी/10 जारी किया है। सैयद ज़ुबेर ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि फोटोग्राफ प्रदर्श-डी/1 में उसकी और अपीलार्थी की तस्वीर है। उसने अपीलार्थी की आयु से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श-डी/12 और डी/13, शपथपत्र प्रदर्श-डी/14 और डी/15, तथा फोटो प्रदर्श-डी/16 और डी/17 प्रस्तुत किए हैं। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि विवाह के बाद, माया देवी पाँच दिन तक उसके साथ रही और उसके बाद वह उसका घर छोड़कर चली गई। अपनी विस्तृत प्रतिपरीक्षण में, सैयद ज़ुबेर ने स्वीकार किया है कि वह उस मौलाना का नाम नहीं जानता जिसके सामने अपीलार्थी ने इस्लाम धर्म अपनाया था। उसने स्वीकार किया है कि निकाहनामा प्रदर्श-पी/9 में दुल्हन का नाम शबनम निशा लिखा है, न कि माया देवी।

14. सैयद ज़ुबेर (अनावेदक साक्षी क्रमांक-2) का साक्ष्य संदेह से भरा है। उसके साक्ष्य से पता चलता है कि वह उस मौलाना का नाम नहीं जानता जिसके समक्ष अपीलार्थी ने इस्लाम धर्म अपनाया है और वह उस मौलाना का नाम भी नहीं जानता जिसने अपीलार्थी का उससे विवाह संपन्न कराया था। विवाह के बाद अपीलार्थी सैयद ज़ुबेर के साथ केवल पाँच दिन ही रही और उसके बाद अपीलार्थी ने अपना घर छोड़ दिया। प्रत्यर्थी के गवाह क्रमांक 2 सैयद ज़ुबेर (अनावेदक साक्षी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

क्रमांक-2) का कथन अपने आप में विरोधाभासी और संदिग्ध है, जो विश्वास और भरोसे के लायक नहीं है और उस पर विश्वास किया जाना सुरक्षित नहीं हैं।

15. अपीलार्थी ने स्वयं स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसकी विवाह से पहले और बाद में प्रत्यर्थी को उसके चरित्र का हनन करने वाले कुछ पत्र मिले हैं। उसने शपथपत्र पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं और बताया है कि उसके पति ने उसके हस्ताक्षर ज़बरदस्ती करवाए हैं। उसने स्वीकार किया है कि वह सैयद ज़ुबेर के साथ पढ़ रही थी, लेकिन उसने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया है और न ही सैयद ज़ुबेर से विवाह की है। उसने एस. निशा के नाम से हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। उसने अपने गर्भधारण परीक्षण कराए जाने से संबंधित तथ्य से भी इनकार किया है। प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है कि उसे पत्र और तस्वीरें मिली हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अपीलार्थी ने गर्भधारण परीक्षण की तस्वीरें और प्रतिवेदन देने से इनकार किया है। पक्षकारों के बीच संपूर्ण विवाद अज्ञात व्यक्ति द्वारा पूर्व में लिखे गए कुछ पत्रों, अपीलार्थी के इस्लाम धर्म अपनाने के तथ्य, सैयद जुबेर नाम के व्यक्ति के साथ अपीलार्थी के निकाह/विवाह, विवाह अधिकारी के समक्ष विवाह के पंजीयन और कथित तस्वीरों पर आधारित है, जिनसे अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से इनकार किया है। प्रत्यर्थी ने डॉक्टर या संबंधित व्यक्ति का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पता चले कि अपीलार्थी ही वह महिला है जिसकी गर्भधारण परीक्षण के संबंध में डॉक्टर ने जांच की है। प्रत्यर्थी ने इस संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उसे कथित पत्र प्रदर्श-डी/3 से डी/6 किस माध्यम से प्राप्त हुए हैं। प्रत्यर्थी ने तस्वीरों के कोई निगेटिव प्रस्तुत नहीं किए हैं और न ही उस व्यक्ति परीक्षण कराया है जिसने तस्वीरें ली हैं। ये वे दस्तावेज हैं जो प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के खिलाफ पेश किए हैं, जिनसे उसने इनकार किया है और जब तक ये दस्तावेज ठोस साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित नहीं होते, इन पर अवलंब नहीं लिया जा सकता।

17. प्रत्यर्थी के अनुसार, अपीलार्थी ने सैयद ज़ुबेर से विवाह किया है। लेकिन सैयद ज़ुबेर के साक्ष्य और उसका आचरण संदेह से भरा है। सैयद ज़ुबेर के अनुसार, अपीलार्थी उसके साथ केवल पाँच दिन रही और उसके बाद, वह उसका घर छोड़कर चली गई। सैयद ज़ुबेर उस मौलाना का नाम नहीं जानता जिसके सामने अपीलार्थी ने इस्लाम धर्म अपनाया था और वह उस गवाह और मौलाना को भी नहीं जानता जिसने उनका विवाह संपन्न कराया था। हालाँकि, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी सैयद ज़ुबेर से ट्यूशन ले रही थी और सैयद ज़ुबेर को अपीलार्थी के साथ तस्वीरें लेने या शरारत करने का अवसर मिला था। जब तक पत्रों और तस्वीरों की प्रामाणिकता साबित नहीं हो जाती, यह मानना मुश्किल है कि अपीलार्थी का सैयद ज़ुबेर से विवाह हुआ था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने चार पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनके बारे में अभिकथित है कि वे प्रत्यर्थी विष्णु वर्मा के पिता को संबोधित थे, लेकिन प्रत्यर्थी ने लिफाफा प्रस्तुत नहीं किया है या यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं कि उनके पिता को किस माध्यम से उपरोक्त पत्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक कि प्रत्यर्थी ने उपरोक्त तथ्यों को साबित करने के लिए अपने पिता का परीक्षण नहीं कराया है। प्रत्यर्थी ने पत्रों की वास्तविकता के बारे में पूछताक्ष करने की कोशिश नहीं की है। , प्रदर्श-डी/3 से डी-6 के प्रथम दृष्टया अवलोकन से पता चलता है कि वे एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे गए थे। विशेष रूप से, प्रदर्श-डी/6 में यह उल्लेख है कि अपीलार्थी गर्भवती थी और उसने गर्भपात करा लिया है। प्रदर्श-डी/6 में यह भी लिखा था कि उपरोक्त तथ्यों को सत्यापित किया जा सकता है और प्रत्यर्थी के पिता अपनी बहू यानी अपीलार्थी की चिकित्सा विशेषज्ञ से जांच करवा सकते हैं। प्रत्यर्थी को ही सबसे अच्छी तरह ज्ञात कारणों से, उसने न तो पत्रों के स्रोत के बारे में पता करने की कोशिश की है और न ही यह जानने की कोशिश की है कि उन्हें कहाँ से भेजा गया था। प्रत्यर्थी ने अपने पिता का परीक्षण नहीं कराया है और न ही उन पत्रों की वास्तविकता को साबित करने के लिए लिफाफे प्रस्तुत किए हैं

कि वे उसके पिता को डाक के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। प्रत्यर्थी का मामला यह नहीं है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्रत्यर्थी को ये खुले पत्र लिखे हैं। अपीलार्थी ने तस्वीरों को भी अस्वीकार कर दिया है। प्रत्यर्थी ने उन गवाहों का परीक्षण नहीं कराया है जिन्होंने तस्वीरें ली हैं और यहां तक कि उसने कोई निगेटिव भी प्रस्तुत नहीं किया है। गर्भपात के तथ्य को साबित करने के लिए अपीलार्थी की चिकित्सकीय जांच करने का अवसर मिलने के बावजूद, प्रत्यर्थी ने उसकी चिकित्सकीय परीक्षण करने की कोशिश नहीं की है।

19. प्रत्यर्थी के साक्ष्य से पता चलता है कि उसने दूसरी महिला से पुनर्विवाह किया है। अपने साक्ष्य के कंडिका- 2 में, प्रत्यर्थी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पक्षकारों के बीच प्रथागत तलाक हुआ था। लेकिन याचिका की पोषणीयता के लिए आवश्यक यह पर्याप्त तथ्य प्रत्यर्थी द्वारा अपने लिखित कथन/जवाबदावाया में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। एक तलाकशुदा महिला अपने दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का दावा नहीं कर सकती है और यह पर्याप्त आधार प्रत्यर्थी के पास उपलब्ध था, लेकिन प्रत्यर्थी को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, प्रत्यर्थी ने इस तरह के प्रथागत तलाक को प्रमाणित करने के लिए कोई अभिवचन नहीं किया हैऔर न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया हैं जिसका कारण सिर्फ वही अच्छी तरह से जनता है और यहां तक कि उन व्यक्तियों का कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है तथा आगे और इंतजार किए बिना उसने तुरंत चूड़ी प्रथा से दूसरी महिला के साथ विवाह कर लिया है। ये परिस्थितियां यह दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि प्रत्यर्थी का बचाव और आचरण स्वाभाविक नहीं है और संदेह, चालाकी और स्वार्थ से भरा है।

20. वैवाहिक संबंध सामान्यतः एक-दूसरे पर सद्भावनापूर्ण विश्वास और भरोसे, एक-दूसरे को सौंपने और समर्पण पर आधारित होते हैं। वैवाहिक संबंध प्रकृति में नाजुक होते हैं, लेकिन इतने कमज़ोर भी नहीं होते कि वे मामूली आधार पर या पक्षकारों की सनक और इच्छाओं के आधार पर भी टूट जाएँ। सनक और इच्छाओं के आधार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर, किसी भी विवाहित महिला/दुल्हन के जीवन और अधिकारों को संदेह संदेह के घेरे में नहीं लाया जा सकता।

21. संपूर्ण साक्ष्य, उसकी प्रकृति, पक्षकारों के तर्क और आचरण पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय ने सामग्री पर उसके साक्ष्यिक मूल्य और उसकी भावना के अनुसार विचार नहीं किया है, और इस प्रकार अवैधता की है।

22. यह एक वैवाहिक विवाद है और न्यायाधीशों, विशेषकर कुटुंब न्यायालयों के न्यायाधीशों, का दायित्व है कि वे पक्षकारों के बीच विवादों को सुलझायें और विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्यों पर विचार करें। लेकिन इस निष्कर्ष का मूल आधार ही ऐसे साक्ष्यों पर आधारित है, जो विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं। इसलिए, आक्षेपित निर्णय और आज्ञप्ति विधि के तहत कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं और यह अपास्त किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापन से इनकार करने वाले निर्णय एवं आज्ञप्ति को अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेजा जाता है ताकि उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने और दस्तावेजों को विधि के अनुसार प्रमाणित करने का अवसर प्रदान किया जा सके तथा पुनः निर्णय एवं आज्ञप्ति पारित की जा सके। पक्षकारों को अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

24. पक्षकारों को मामले की आगे की अग्रिम कार्यवाही के लिए दिनांक 26.11.2009 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

25. अभिलेख तत्काल अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जाए।

26. अधिवक्ता शुल्क अनुसूची के अनुसार देय होगा।

27. तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाए।

सही/–
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

सही/–
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Vinay Awasthi, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur